ई-मेल द्वारा

दिनांक 07.03.2019 को आयोजित प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न वीडियो कान्फ्रेंसिंग का कार्यवृत्त

दिनांक 07.03.2019 को प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में प्रदेश के समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की गई। वीडियो कांफ्रेंसिंग में निम्न निर्देश दिए गए:–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण में अवशेष द्वितीय किस्त की धनराशि 2 दिन के अंदर लाभार्थियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण में तृतीय किस्त एक सप्ताह के अंदर अवमुक्त कराना सुनिश्चित किया जाए।

3. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण में आवश्यक कार्यवाही करते हुए लक्ष्य के सापेक्ष शत–प्रतिशत आवासों को 25 मार्च, 2019 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए।

4. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के सापेक्ष शत–प्रतिशत आधार सीडिंग का कार्य 20 मार्च, 2019 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए।

5. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के समस्त लाभार्थियों को 90 दिवस का मानव दिवस मनरेगा योजना से अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए एवं उन्हें आवास के अतिरिक्त मनरेगा में अन्य कार्यों के माध्यम से भी रोजगार उपलब्ध कराया जाए।

6. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के अवशेष आवासों को एक सप्ताह में पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए।

7. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत परफारमेंस इंडेक्स में सभी पैरामीटर में शत–प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित किया जाए।

8. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत अधिक से अधिक व्यक्तिगत कार्यों, कृषि संबंधी कार्यों एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के कार्य कराए जाएं।

9. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कन्वर्जसन के माध्यम से मार्च, 2019 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए।

10. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड के 2 ग्राम पंचायतों की जी0आई0एस0 मैपिंग तथा अगले वित्तीय वर्ष में SECURE के माध्यम से शत–प्रतिशत प्राक्कलन बनवाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएं

11. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से राज्य वित्त/चौदहवां वित्त तथा अन्य योजनाओं को कन्वर्जसन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापना सुविधाओं के विकास के लिए अधिक से अधिक कार्य कराए जाएं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का अधिक से अधिक विकास हो तथा ग्राम वासियों के जीवन स्तर में सुधार आए।

12. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में आजीविका पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्य विकास अधिकारी अपने नेतृत्व में इस योजना में अधिक से अधिक समूहों को बैंक से क्रडिट लिंकेज करवाते हुए उन्हें बाजार से जोड़ने का प्रयास करें साथ ही साथ समूहों को अधिक से अधिक प्रशिक्षण दिलवाना भी सुनिश्चित करें, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।

13. रूर्बन मिशन अंतर्गत क्लस्टर में कार्यों को समयबद्ध ढंग से गुणवत्तापरक पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए।

14. सांसद आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत अवशेष कार्यों को मार्च 2019 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा जो कार्य अनारंभ है, उसे तत्काल शुरू किया जाए।

समस्त संयुक्त विकास आयुक्त एवं मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी एवं समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि उक्त के संबंध में निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्यवाही नहीं की जाती है तो इसके लिए संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

भवदीय,

(नागेन्द्र प्रसाद सिंह)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पृष्ठांकन सं0– 62 /बैठक सेल/2019, तद्दिनांक। 13-2-2019

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
2– अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
4– अपर मिशन निदेशक, एन0आर0एल0एम0, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
5– समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, उ0प्र0।
6– समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
7– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8– समस्त जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।
9– समस्त परियोजना निदेशक, उ0प्र0 ।
9– समस्त उपायुक्त (मनरेगा/एन0आर0एल0एम0), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
10– समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।

(आर0एम0 सिंह)
उपायुक्त
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।